न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:– राजेश कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 185/2023

जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2023/292

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1.भोलाराम पुत्र सोनाराम 2.पोलाराम पुत्र सोनाराम जाति रबारी निवासी गोलीया वाया पारलू तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा		1.अन्दरी पत्नी रूगनाथराम 2.टीपू पत्नी रूपाराम 3.पूराराम पुत्र रूपाराम 4.बगदाराम पुत्र रूगनाथराम 5.रामाराम पुत्र रूपाराम 6.विशनाराम पुत्र रूगनाथराम 7.शांति पुत्री रूगनाथराम 8.सोहनकंवर पत्नी कल्याणसिंह के वारिसान 8/1.गोरधनसिंह पुत्र कल्याणसिंह 8/2.कुलदीपसिंह पुत्र कल्याणसिंह 8/3.पुष्पेन्द्रसिंह पुत्र कल्याणसिंह जाति चारण निवासी गोलीया वाया पारलू तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा 9.भीखा खां पुत्र उसमान खां जाति मोयला निवासी गोलीया वाया पारलू तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा 10.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पचपदरा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.11 18:09:42 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थिति–

1. श्री भूपेन्द्र गहलोत अधिवक्ता प्रार्थीगण।
2. विप्रार्थी एकपक्षीय

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

आदेश

दिनांक 24.7.24

1.संक्षिप्त में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि ग्राम गोलिया तहसील पचपदरा की प्रार्थीगण की खातेदारी खेत खसरा संख्या 1251/340 क्षेत्रफल 1.5378 हैक्टेयर व खसरा संख्या 744/340 क्षेत्रफल 1.5378 हैक्टयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। अतः ग्राम गोलिया तहसील पचपदरा की प्रार्थीगण की खातेदारी खेत खसरा संख्या 1251/340 क्षेत्रफल 1.5378 हैक्टेयर व खसरा संख्या 744/340 क्षेत्रफल 1.5378 हैक्टयर भूमि की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया है।

2.प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिए रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुई। अधिवक्ता श्री करणसिंह चारण की ओर से विप्रार्थी संख्या 8/2 व 8/3 की तरफ से वकालतनामा पेश किया गया। विप्रार्थी संख्या 1 से 7 व 8/1,9 एवं 10 को सुनवाई के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही पारित की गई। विप्रार्थी संख्या 8/2 व 8/3 को जवाब पेश करने के चार माह से अधिक समय लिए जाने के उपरांत भी जवाब पेश नहीं किए जाने पर जवाब बन्द किया गया तथा विप्रार्थी संख्या 8/2 व 8/3 अधिवक्ता बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं होने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.हमनें विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम गोलिया तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 1251/340 क्षेत्रफल 1.5378 हैक्टेयर व खसरा संख्या 744/340 क्षेत्रफल 1.5378 हैक्टयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थी की भूमि आई हुई है,वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते है तथा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है। विप्रार्थी झगड़ालू प्रवृति का होने के कारण आये दिन प्रार्थीगण की उसकी खातेदारी भूमि की सीमाओं को लेकर विवाद करता रहता है,प्रार्थीगण द्वारा विप्रार्थी को मना करने के उपरांत भी विप्रार्थी प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में दखलदान्जी करने से बाज नहीं आ रहा है। अन्तः में निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम गोलिया तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 1251/340 क्षेत्रफल 1.5378 हैक्टेयर व खसरा संख्या 744/340 क्षेत्रफल 1.5378 हैक्टयर भूमि की नेखमबन्दी के आदेश फरमावे जावे।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.11 18:30:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

4. हमनें विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड,संलग्न दस्तावेजात एवं मौका फर्द रिपोर्ट का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि ग्राम गोलिया तहसील पचपदरा की प्रार्थीगण की खातेदारी खेत खसरा संख्या 1251/340 क्षेत्रफल 1.5378 हैक्टेयर व खसरा संख्या 744/340 क्षेत्रफल 1.5378 हैक्टयर भूमि अवस्थित है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी संवत 2079–2082 का अवलोकन करने से स्पष्ट है। इस प्रकार प्रार्थीगण विवादित भूमि के रिकार्डड खातेदार है और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की नेखमबंदी करवानें के लिए स्वतंत्र है,जिसके प्रार्थीगण हकदार प्रतीत होते है। हस्तगत प्रकरण के निस्तारण के लिए हम यहां धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 का उल्लेख करना उचित समझते है,जिसके अनुसार :–**धारा 128 सीमा विवाद**–सम्बन्धी समस्त विवाद भू–अभिलेख अधिकारी द्वारा धारा 111 में निर्धारित रीति से तय किए जायेगें:

1.(परन्तु खेतो के सीमाओं सम्बन्धी आवेदन–पत्र,जहां यधपि ऐसी सीमा के विषय मे कोई विवाद विधमान नहीं हो किन्तु सही सीमा चिन्हों के अभाव में ऐसी विवाद उठानें की सम्भावना हो तो तहसीलदार को ही पेश किए जायेगें तथा उसी के द्वारा निपटाये जायेगें)

उक्त प्रावधान से स्पष्ट है,कि सीमाओं में विवाद की स्थिति होने पर विवादो का निपटारा न्यायालय हाजा के स्तर से किया जाना है। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द दिनांक 01.7.2023 अवलोकन से हस्तगत प्रकरण में विचाराधीन आराजी की सीमाओं को लेकर विवाद है,ऐसी स्थिति में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 111 में निहित प्रावधानो के तहत हस्तगत प्रकरण का निस्तारण न्यायालय हाजा से ही किया जाना है। विप्रार्थीगण बावजूद रजिस्ट्रर्ड नोटिस तामीली के उपस्थित नहीं होने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। इससे प्रतीत होता है कि विप्रार्थीगण को प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किए जाने की मौन स्वीकृति है,यदि आपति होती तो उजर–एतराज पेश करते,लेकिन ऐसा विप्रार्थीगण द्वारा नहीं किया गया। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण अपने आवेदन पत्र को बखूबी साबित करने में सफल रहा है।

5. उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पंहुचा है,कि प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबंदी करवानें के हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

:आदेश:–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 भली भांति साबित होनें एवं सारव[illegible]कारण स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार पचपदरा को निर्देश प्रदान [illegible] अधिनियम 1956 की धारा 111 मे विहित प्रक्रिया के अ[illegible]री भूमि ग्राम गोलिया तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 1251/340 क्षेत्रफल 1.5378 हैक्टे[illegible] खसरा संख्या 744/340 क्षेत्रफल 1.5378 हैक्टेयर भूमि की सीमाज्ञान करवाकर नेखम स्थापित करें। उक्त कार्यवाही प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.11 18:09:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

कर की जावे। कमिशनर फीस 1000/प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। यदि विवाद हो,तो पालना रिपोर्ट पेश करे। पत्रावली इसी कदर निर्णीत होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफतर हो।

(राजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

आदेश आज दिनांक 24.7.2024 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.11 18:09:42 IST
Reason: SelfAttested